संख्या–भा0स0–76 / 14–2–2017–800 (12) / 2017

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह
अनुसचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 13 अप्रैल 2017**

विषयः– कन्नौज़ में छिबरामऊ–सौरिख–बिधूना मार्ग (एमडीआर–13) किमी0 0.000 से 33.100तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 21.6 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1554 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 22 / 2017 / एफसी / 597, दिनांक 29–03–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कुल 10 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– विषयगत प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रेषित मूल प्रति (02प्रतियों में) भेजते हुये हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 29–3–2017 में उल्लिखित 10 बिन्दुओं पर बिन्दुवार कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि ।
(02 प्रस्ताव)

भवदीय,

BSingh
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।